न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 237/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खीयाराम पुत्र रामुराम 2– कंवरराम पुत्र रामुराम समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम देवातडा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1– भगवाननाथ पुत्र श्यामनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम देवातडा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत देवातडा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–2016 जो उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व अपील संख्या 5/2016 अनवान भगवाननाथ बनाम सरपंच वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अशोक चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6–4–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवातडा तहसील बिलाडा हाल भोपालगढ के खसरा नंबर 707 की 6 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नंबर 708 की 14 बीघा 12 बिस्वा सिवाय चक भूमि संवत 2024 से काबिज अनुसार श्यामनाथ पुत्र चैननाथ सा0 देह के नाम से दर्ज थी । उक्त दोनो खसरा नंबरान की भूमि बाबत पुनः नामांतरकरण संख्या 214 तहसीलदार के आदेश संख्या 38 दिनांक 22–1–72 के कम मे श्यामनाथ पुत्र चैननाथ कौम नाथ सां0 देह गैर खातेदार का भर कर पटवारी हल्का ने प्रस्तुत किया । उक्त नामांतरकरण पर पटवारी हल्का देवातडा का ही ऐतराज कि "खसरा नंबर 707 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा बारानी द्वितीय का दुबारा नियमन हुआ है, सो गलत है। नामांतरकरण संख्या 208 स्वीकृत हो चुका है, जो खारीज योग्य है । उक्त नामांतरकरण को सरपंच ग्राम पंचायत देवातडा द्वारा दिनांक 15–4–74 को "स्वीकृत नही किया जाता है" अथार्त खारीज कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 214 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 भगवाननाथ पुत्र श्यामनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 214 मे दो खसरान 707 एवं 708 के संबंध मे इन्द्राज है परंतु पटवारी हल्का देवातडा का म्युटेशन पर ऐतराज खसरा नंबर 707 के संबंध मे ही है परंत 708 के बाबत कोई टिप्पणी या ऐतराज नही होने पर भी

उसके पिता श्यामनाथ के पक्ष मे विधि अनुसार अंकन नही कर ग्राम पंचायत ने त्रुटि की है इसलिए नामांतरकरण संख्या 214 पर ग्राम पंचायत देवातडा के आदेश को खारीज कर अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2016 के द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 214 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को खसरा नंबर 708 मे प्रार्थी के परिजनो के हक मे संबंधित समस्त दस्तावेजो की सघन जांच कर हितबद्ध पक्षकारो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर खसरा नंबर 708 के संबंध मे विधिसम्मत नामांतरकरण स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांधीन नामांतरकरण से अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे नामांतरकरण संख्या 214 मे पटवारी हल्का द्वारा लगाये गये नोट कि खसरा नंबर 207 का इन्द्राज गलत हुआ है, क्योकि नियमन रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खसरा नंबर 708 मे ही हुआ था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस नोट पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि कानूनन कब्जाधारी को नियमन एक ही बार कब्जे वाले स्थान पर किया जाता है परंतु इस तर्क पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 214 जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1974 मे जो आदेश पारित किया था, उसके विरूद्ध 42 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रकरण नियमन आदेश जो सक्षम अधिकारी भूमिधारी द्वारा पारित किया हुआ होने से उसके सुनवाई के क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नियमन आदेश को अब तक किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2016 को खारीज करने तथा नामांतरकरण संख्या 214 पर ग्राम पंचायत देवातडा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 214 पर पटवारी हल्का द्वारा केवल खसरा नंबर 707 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा भूमि बाबत ही ऐतराज अंकित किया था जबकि खसरा नंबर 708 के बारे मे कोई टिप्पणी या ऐतराज नही करने पर भी सरपंच ग्राम पंचायत ने दोनो खसरान बाबत म्युटेशन को अस्वीकृत कर दिया, जिसके संदर्भ मे रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे म्युटेशन संख्या 214 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील के साथ खसरा नंबर 707 एवं 708 की भूमि पर रेस्पो0 के पिता का कब्जा होने से उक्त दोनो खसरा नंबरान की भूमि का नियमन रेस्पो0 के पिता श्यामनाथ को किया गया था तथा नियमन के दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि जब म्युटेशन पर पटवारी हल्का की आपत्तिपूर्ण टिप्पणी आ चुकी थी तो उक्त म्युटेशन को तहसीलदार के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन सरपंच से स्वीकृत करवा लिया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर पारित किया गया निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 214 का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 214 जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नियमन आदेश की पालना मे खोला जाकर प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का का ऐतराज बाबत नोट कि "खसरा नंबर 707 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा बारानी द्वितीय भूमि का दुबारा नियमन हुआ है सो गलत है नामांतरकरण संख्या 208 स्वीकृत हो चुका है, सो खारीज योग्य है" जिसके आधार पर उक्त म्युटेशन को सरपंच ग्राम पंचायत देवातडा ने दिनांक 15–7–74 को अस्वीकार कर दिया । जिसके विरूद्ध रेस्पो0गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 मे लगभग 42 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद सही तथ्यो को छुपाते हुए तथा वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी

ग्राम सालवाखुर्द संवत् 2059–62 के अवलोकन से यह प्रकट है कि खसरा नंबर 708 रकबा 14.12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की भूमि मे से खसरा नंबर 708/1 मे रेस्पो0 संख्या भगवाननाथ पि0 श्यामनाथ को वर्ष 2008 मे 5.19 बीघा भूमि का आवंटन होना तथा आवंटन का म्युटेशन संख्या 1552 भी स्वीकृत होना जाहिर होता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओ पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0 संख्या 1 यदि म्युटेशन संख्या 214 मे वर्णित खसरा नंबर 707 व 708 की भूमि अपने पक्ष मे नियमन होना तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होना मानते है तो उन्हे नियमित वाद पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी चाहिये तथा अपने पक्ष मे उक्त खसरा नंबरान का नियमन होना मानते है तो नियमन आदेश के आधार पर सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये परंतु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय मे 42 वर्ष के विलंब से म्युटेशन अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2016 को पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही मानते हुए उसे निरस्त किया जाता है । उपरोक्त विवेचन के साथ अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 6–4–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर